

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 24-12-2020

आदेश

विषय : सेवानिवृत्त कार्मिकों के माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के आस्थगित (Deferred) वेतन का भुगतान बाबत।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2020, 02.04.2020 एवं 05.04.2020 द्वारा कार्मिकों की माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के वेतन में से आंशिक राशि आस्थगित की गयी थी।

उक्त आदेशों के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कार्मिकों का माह मार्च, 2020 में वेतन आस्थगित किया गया था तथा वह कार्मिक इस आदेश की दिनांक तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका आस्थगित वेतन तुरन्त प्रभाव से भुगतान कराया जावे तथा जो कार्मिक इस आदेश के जारी होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत इस आस्थगित राशि का भुगतान कराया जावे।

अतः माह मार्च, 2020 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों के उक्त आस्थगित वेतन का उक्तानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आज्ञा से,

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 15 /2020)